

National Capital Region Institute of Medical Sciences, Meerut

21-KM, NH-334, Meerut-Hapur Highway, MEERUT-245206 (U.P.)

Fee Structure of MBBS 2025-26Batch *

Particular	Fee in Rs.					Mode of Payment
	1st Year	2nd year	3rd year	4th year	4.5th year	
Tuition Fee	1219917	1219917	1219917	1219917	609959	1st Year Fee only DD in the favor of. "Director General Medical Education & Training U.P" payable at Lucknow and submit to Nodal Centre
Miscellaneous Fee	94160	94160	94160	94160	94160	FORNEFT/RTGS FIRST BANK Holder Name: National Capital Region Institute of Medical Sciences, Meerut Bank: Shivalik Mercantile Co-operative Bank Ltd Branch: Garh Road, Meerut Account No.: 100810330548 IFSC Code: SMCB0001008 SECOND BANK Holder Name: National Capital Region Institute of Medical Sciences Bank: Union Bank of India Branch: Nalpur, Meerut AccountNo.: 347822010000010 IFSC Code: UBIN0934780
Security Fee* Refundable after compilation of course	300000	0.00	0.00	0.00	0.00	
Hostel Fee Non AC Double Occupancy	173250	173250	173250	173250	86625	FOR NEFT/RTGS (ONLY HOSTEL FEE) Account Holder Name: Dayanand Hostel Bank: Shivalik Small Finance Bank Ltd Branch: Garh Road, Meerut AccountNo.:100810517549 IFSC Code: SMCB0001008
Hostel Fee AC Double Occupancy	202125	202125	202125	202125	101,063	
Total Fee Without Hostel	1614077	1314077	1314077	1314077	704119	6166267/- *
Total Fee With Non AC Hostel	1787327	1487327	1487327	1487327	790744	7040052/- *
Total Fee With AC Hostel	1816202	1516202	1516202	1516202	805,182	7169990/- *

Note:

- *The Security fee is non-refundable until the course completed and it will not be adjusted against any college fee.
- Hostel is not mandatory (fee same above).
- For Miscellaneous and Security Fee: DD in the Favour of National Capital Region Institute of Medical Sciences payable at Meerut.
- For Hostel Fee: DD in the Favour of Dayanand Hostel payable at Meerut
- CHEQUE/CASH NOT ACCEPTABLE.**
- The above fee structure is subjected to change as per College rules or any change by UP Govt./DGME, Lucknow/NMC, New Delhi/ABVP Medical University, Lucknow



कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या- एम0ई0-3/2025/2136

लखनऊ: दिनांक- 04 सितम्बर, 2025

-:: अति महत्वपूर्ण सूचना ::-

यू0पी0 नीट यू0जी0- 2024 की काउंसिलिंग के माध्यम से प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेशित अभ्यर्थियों तथा यू0पी0 नीट यू0जी- 2025 की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ-लखनऊ में योजित रिट याचिका- सी- संख्या-8208/2025, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य तथा उससे सहबद्ध रिट याचिकाओं (रिट याचिका-सी-संख्या- 8038/2025, वेन्केटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, रिट याचिका-सी-संख्या- 8081/2025, प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, रिट याचिका-सी-संख्या-8084/2025, कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, मथुरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, रिट याचिका-सी-संख्या- 8194/2025, डॉ० के०एन०एस० मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, रिट याचिका-सी-संख्या-8275/2025, एस०के०एस० हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेंटर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, रिट याचिका-सी-संख्या- 8277/2025, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरनगर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, रिट याचिका-सी-संख्या-8279/2025, एन०सी०आर० इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज, मेरठ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा रिट याचिका-सी-संख्या-8281/2025, श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) में मा० न्यायालय द्वारा दिनांक- 01.09.2025 को आदेश पारित किये गये हैं, जिसके प्रासंगिक अंश निम्नवत् हैं:-

6. The respondent no.4, shall inform that the fees to be paid in respect of aided and unaided medical institutions is subject matter of challenge before this Court and shall be subject to the outcome of the litigation pending before this Court.

7. The said information shall be given to the students.

इस संबंध में सूच्य है कि शासकीय विज्ञप्ति संख्या- 39/71-4-2025 दिनांक 05.07.2025 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 एवं शासकीय विज्ञप्ति संख्या-1/1036663/2025 दिनांक 24.07.2025 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु निजी क्षेत्र के गैर अल्पसंख्यक मेडिकल कालेजों के शुल्क का निर्धारण किया गया है। उपरोक्त शासकीय विज्ञप्ति के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ में उपरोक्त संदर्भित रिट याचिकाएं उक्त मेडिकल कालेजों द्वारा योजित की गयी हैं। जिसमें मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.09.2025 के क्रम में निजी क्षेत्र के गैर अल्पसंख्यक मेडिकल कालेजों का शुल्क उपरोक्त संदर्भित रिट याचिकाओं में पारित होने वाले मा० न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

कृपया उपरोक्त से अवगत होने का कष्ट करें।

कृते महानिदेशक।